रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 17 अप्रैल, 1974
चैत्र 27, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1079/17-वि-1-26-74

लखनऊ, 17 अप्रैल, 1974

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1974 पर दिनांक 16 अप्रैल, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1974)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) यह 21 दिसम्बर, 1973 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में—

(क) खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्—

"(ट) किसी फैक्ट्री अथवा गुड़, राब या खण्डसारी शक्कर बनाने वाली किसी इकाई के संबंध में, 'अध्यासी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति (जिसमें कोई कम्पनी, फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य समवाय भी शामिल है) अथवा प्राधिकारी से है जिसके स्वामित्व में ऐसी फैक्ट्री या इकाई हो अथवा जिसका ऐसी फैक्ट्री या इकाई के मामलों पर अन्तिम नियंत्रण हो, और यदि उक्त मामले ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी के मैनेजिंग एजेन्ट अथवा डाइरेक्टर या अन्य अधिकारी को सौंपे गये हों, तो इसके अन्तर्गत ऐसा मैनेजिंग एजेन्ट, डाइरेक्टर या अन्य अधिकारी भी है।

स्पष्टीकरण—इस बात के होते हुए भी कि फैक्ट्री या इकाई के मामले किसी मैनेजिंग एजेन्ट अथवा डाइरेक्टर या अन्य अधिकारी को सौंप दिये गये हों, उस व्यक्ति या प्राधिकारी के, जिसके स्वामित्व में ऐसी फैक्ट्री या इकाई हो अथवा जिसका ऐसी फैक्ट्री या इकाई के मामलों पर अन्तिम नियंत्रण हो, धारा 17 के अधीन दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

(ख) खण्ड (ड) निकाल दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 की धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में, खण्ड (ग) में, शब्द 'तथा खरीदारी एजेन्टों' निकाल दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 की धारा 5 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 5 में—

(क) उपधारा (4) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "उसके किसी सदस्य को" के स्थान पर शब्द "उसके सभापति या किसी सदस्य को" रख दिये जायं;

(ख) उपधारा (5) में—

(1) खण्ड (क) में, शब्द "सभापति तथा सचिव से भिन्न सभी सदस्य" के स्थान पर शब्द "सचिव से भिन्न सभापति तथा सभी सदस्य" रख दिये जायं;

(2) खण्ड (ग) में, शब्द "सभापति अथवा सचिव, जैसा कि गन्ना कमिश्नर आदेश दें" के स्थान पर शब्द "सचिव" रख दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 की धारा 17 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 17 में—

(क) उपधारा (2) में, शब्द "और यदि किसी खरीदारी एजेन्ट द्वारा गन्ना दिया गया हो, तो अध्यासी के अतिरिक्त खरीदारी एजेन्ट भी उसी प्रकार उत्तरदायी होगा" निकाल दिये जायं;

(ख) उपधारा (5) में, खण्ड (क) में शब्द 'एक नियत प्रतिशत' के स्थान पर शब्द 'एक ऐसा प्रतिशत जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, अवधारित किया जायगा,' रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 की धारा 21 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 21 में—

(क) पार्श्वशीर्षक में शब्द, "इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 22 के प्रयोजनों के लिए" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "व्यक्तियों का अन्य समवाय" से पहले कोष्ठक तथा शब्द "(कम्पनी से अन्यथा)" बढ़ा दिये जायं और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायं, तथा प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "इस अधिनियम" जहां भी आये हों, के स्थान पर शब्द "इस उपधारा" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं;

(ग) उपधारा (2) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "इस अधिनियम," जहां भी आये हों, के स्थान पर शब्द "इस उपधारा" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 की धारा 28 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (2) का खण्ड (ठ) निकाल दिया जाय।

8—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन या उस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन भेजे गये या भेजे जाने के लिए तात्पर्यित प्रमाण-पत्र के अनुसरण में किया गया या किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य, और की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही, उसी प्रकार विधिमान्य समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे। वैधीकरण

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का संशोधन

9—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3-क में, उपधारा (3) में शब्द "पेराई के मौसम के अन्त में" के पश्चात् शब्द "या पेराई के मौसम के लिए फैक्ट्री के बन्द होने के पश्चात्, जैसी भी दशा हो, तुरन्त" रख दिये जायं। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1961 की धारा 3-क का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) में शब्द "उस इकाई के अतिरिक्त जिसने उत्तर प्रदेश खण्डसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, 1960 के अधीन लाइसेंस प्राप्त किया हो," के स्थान पर शब्द "उस इकाई के अतिरिक्त, जिसने उत्तर प्रदेश खण्डसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, 1967," रख दिया जाय। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1961 की धारा 4 का संशोधन

अध्याय 4

निरसन

11—(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1973 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। निरसन तथा अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानों यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

No. 1079(2)/XVII-V-1—26-74

Dated, Lucknow, April 17, 1974

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Kharid Viniyaman Aur Krayakar Ki Vasooli) (Sanshodhan Tatha Vaidhikaran) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhniyam Sankhya 7 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 16, 1974:

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE AND RECOVERY OF PURCHASE TAX) (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1974.

[U. P. Act No. 7 of 1974]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, and the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961.

It is hereby enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India is follows :—

CHAPTER I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase and Recovery of Purchase Tax) (Amendment and Validation) Act, 1974. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 21, 1973.

CHAPTER II

Amendment of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953

Amendment of section 2 of the U. P. Act No. XXIV of 1953.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act—

(*a*) for clause (*k*), the following clause shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(*k*) 'Occupier' in relation to a factory or a *gur*, *rab* or *khandsari* Sugar Manufacturing Unit, means the person (including a company, firm or other association of individuals) who, or the authority which, owns or has the ultimate control over the affairs of such factory or unit and where the said affairs are entrusted to a Managing Agent or a Director or other officer of such person or authority, includes such Managing Agent, Director or other officer :

Explanation—Notwithstanding that the affairs of a factory or unit are entrusted to a Managing Agent or a Director or other officer, the liability under section 17 of the person, who or the authority which, owns or has the ultimate control over the affairs of the factory or unit shall remain unaffected ;"

(*b*) clause (*m*) shall be *omitted*.

Amendment of section 4 of the U. P. Act No. XXIV of 1953.

3. In section 4, of the principal Act, in clause (*c*) the words "and Purchasing Agents" shall be *omitted*.

Amendment of section 5 of the U P. Act No. XXIV of 1953.

4. In section 5 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (4), in the proviso thereto, *for* the words "any member thereof" the words, "the Chairman or any other member thereof" shall be *substituted* ;

(*b*) in sub-section (5),—

(i) in clause (*a*), *for* the words "all members but not the Chairman and the Secretary" the words "the Chairman and all members but not the Secretary" shall be *substituted* ;

(ii) in clause (*c*), *for* the words "by the Chairman or the Secretary as the Cane Commissioner may direct" the words "by the Secretary" shall be *substituted*.

Amendment of section 17 of the U. P. Act No. XXIV of 1953.

5. In section 17 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (2), the words "and where the supplies have been made through a purchasing agent, the purchasing agent also shall be similarly liable in addition to the occupier" shall be *omitted* ;

(*b*) in sub-section (5), in clause (*a*), *for* the words "a prescribed percentage", the words "a percentage determined by such authority and in such manner as may be prescribed" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*.

Amendment of section 21 of the U. P. Act No. XXIV of 1953.

6. In section 21 of the principal Act,—

(*a*) in the marginal heading, *for* the words "for the purpose of this Act", the words and figures "for the purposes of section 22" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted* ;

(*b*) in sub-section (1), *after* the words "association of individuals" the brackets and words "(not being a company)" shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, and in the proviso, *for* the words "this Act", wherever occurring, the words "this sub-section" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted* ;

(*c*) in sub-section (2), in the proviso, *for* the words "this Act", wherever occurring, the words "this sub-section" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*.

Amendment of section 28 of the U. P. Act No. XXIV of 1953.

7. In section 28 of the principal Act, clause (1) of sub-section (2) shall be *omitted*.

Validation

8. Notwithstanding any judgment decree or order of any court, anything done or purporting to be done, and any action taken or purporting to be taken, under the principal Act or the Rules made thereunder or in pursuance of a certificate issued or purporting to be issued under sub-section (4) of section 17 of that Act, before the commencement of this Act, shall be deemed to be as valid as if the provisions of this Act were in force at all material times.

CHAPTER III

Amendment of the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961

Amendment of section 3-A of the U. P. Act No. IX of 1961.

9. In section 3-A of the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (3), *after* the words "at the end of the crushing season" the words "or, as the case may be, immediately after the closure of the factory for the crushing season" shall be *inserted*.

Amendment of section 4 of the U. P. Act No. IX of 1961.

10. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words and figures "No unit other than a unit, which has obtained a licence under the Uttar Pradesh Khandsari Sugar Manufacturers Licensing Order, 1960" the words and figures "No unit other than a unit, which has obtained a licence under the Uttar Pradesh Khandsari Sugar Manufacturers Licensing Order, 1967" shall be *substituted*.

CHAPTER IV

Repeal

Repeal of U.P. Ordinance No. X of 1973.

Repeal and Saving

11. (1) The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment and Validation) Ordinance, 1973, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act was in force at all material times.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 3 सा०(विधायका)—एम० सी० नं० 178—1974—1700 (मे०)।